सैनिक कल्याण कार्यालय चम्बा की "सैनिक विश्राम गृह निधि"

का अंकेक्षण एंव निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 04 / 2009 से 03 / 2013

भाग–एक

(1) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः–

संख्या द्वारा अवधि 3 / 09 तक के गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों को वर्तमान अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नही किया गया जिसके परिणामस्वरूप गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों को वर्तमान अंकेक्षण में सम्मिलित नही किया जा सका। अतः गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों को उचित स्त्रोत से प्राप्त करके तथा उनमें सम्मिलित अनिर्णीत पैरों पर उचित कार्रवाई करके अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

(2) वर्तमान अंकेक्षणः–

सैनिक कल्याण कार्यालय चम्बा की "सैनिक विश्राम गृह निधि" (अवधि 4 / 2009 से 03 / 2013) का वर्तमान अंकेक्षण, श्री संदीप कमल अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनाँक 16–11–13 से 18–11–13 के दौरान उप–निदेशक कार्यालय परिसर चम्बा में किया गया। आय व व्यय की विस्तृत जाँच हेतु माह का चयन इस प्रकार किया गया।

वित्तीय वर्ष	2009–10	2010–11	2011–12	2012–13
आय	11 / 2009	07 / 2010	10 / 2011	09 / 2012
व्यय	12 / 2009	08 / 2010	12 / 2011	01 / 2013

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन संस्थान के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एंव अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी प्रकार की गलत सूचना अथवा सूचना जो उपलब्ध नही करवाई गई है, के लिए जिम्मेवार नही होगा।

(3) अंकेक्षण शुल्कः–

सैनिक कल्याण कार्यालय चम्बा की "सैनिक विश्राम गृह निधि" के अवधि 4 / 2009 से 3 / 2013 के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹1200 /आंका गया। संस्था द्वारा अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट संख्या 562406 दिनाँक 06–12–13 भारतीय स्टेट बैंक

की शाखा चम्बा से बनाकर निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि0प्र0 शिमला–9 को प्रेषित कर दिया गया।

(4) वित्तीय स्थितिः–

संस्थान द्वारा अंकेक्षणाधीन अवधि की उक्त निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से प्रस्तुत की है जिसका विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट “क” पर भी दिया गया है।

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	जोड	व्यय	अन्तिम शेष
2009–10	18966	202053	763	221782	150785	70997
2010–11	70997	252926	7439	331362	297085	34277
2011–12	34277	180003	1256	215536	186852	28684
2012–13	28684	368094	2725	399503	365931	33572

बचत खाता संख्या 11149814330 भारतीय स्टेट बैंक, चम्बा में दिनाँक 31–3–2013 को जमा राशि = ₹33572

(5) सावधि जमा में निवेशः–

उपरोक्त के अतिरिक्त संस्था द्वारा दिनाँक 31–3–2013 तक निम्नलिखित राशियाँ सावधि जमा के रूप में निवेशित की गई थी जिसका विवरण परिशिष्ट “ख–1” से “ख-4” पर भी दिया गया है।

क0स0	सावधि जमा संख्या	निवेशित राशि	निवेश की तिथि	ब्याज की दर	परिपक्वता राशि	परिपक्वता की तिथि
1	868749	45905	17–04–12	9.50%	50424	17–04–2013
2	868970	35149	19–05–12	9%	38421	19–05–2013
3	477386	26185	23–03–12	9.25%	29810	23–08–2013
4	894573	50,000	20–11–11	8.50%	54387	20–11–2013
कुलराशि		**157239**				

(6) **सावधि जमा की राशि को रोकड वही में न दर्शाने बारे तथा निवेश रजिस्टर में सावधि जमा योजना में निवेशित राशियों की प्रविष्टियां सुनियोजित तरीके से न करने बारेः–**

अंकेक्षण के दौरान पाया कि संस्था द्वारा सैनिक विश्राम गृह निधि से समय–2 पर राशियाँ सावधि जमा के रूप में निवेश की गई थी लेकिन इन राशियों को निवेश करते समय इन्हे रोकड वही से व्यय के रूप कम कर दिया गया जो कि उचित नही था जिसके परिणामस्वरूप सैनिक विश्राम गृह निधि की सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित नही हो रही है तथा इससे सावधि जमा में निवेशित राशि के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नही किया जा सकता। अतः इस निधि से सावधिक में निवेश की गई राशियों को तत्काल प्रभाव से रोकड वही के अन्तिम शेष में जमा करना सुनिश्चित किया जाए ताकि निधि की सही वित्तीय स्थिति प्रदर्शित हो सके। इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया कि सावधि जमा के रूप में निवेश की गई राशियों की प्रविष्टियां सुनियोजित तरीके से निवेश रजिस्टर में नही की गई थी। अतः सावधि जमा योजना में निवेशित की गई राशियों की प्रविष्टियां निवेश रजिस्टर में सुनियोजित तरीके से करनी सुनिश्चित की जाए ताकि यह पता चल सके कि संस्था द्वारा कितनी राशि किस–2 अवधि के लिए कब–2 निवेश की गई थी तथा निवेश की गई राशियों को परिपक्ता पर नियमानुसार ब्याज सहित आहरित कर लिया गया अथवा इनका पुनः निवेश कर दिया गया है या नही?

(7) **बिना निविदाए आंमत्रित किए नियमानुसार ₹13110 की सामग्री का क्रय करने बारेः–**

चयनित माह के खर्चों की जाँच के दौरान पाया कि मैसर्ज कुकरेजा एसोसियटस चम्बा से उनके बिल संख्या 93 दिनाँक 18–12′09 द्वारा ₹13110 की सामग्री (Bed Sheets, Pillows, Quilt, Bucket, Jug & Glass) इत्यादि बिना निविदाए आमन्त्रित किए खरीदी गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश वित नियम 2009 के नियम 97 के अर्न्तगत ₹3000 से अधिक की खरीद के लिए निविदाए आमन्त्रित करना आवश्यक है। यदि संस्था द्वारा उपरोक्त सामग्री निविदाएं आमन्त्रित करके खरीदी गई होती तो बाजारी प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाया जा सकता था। अतः बिना निवादाए आमन्त्रित किए खरीदी गई सामग्री का औचित्य स्पष्ट किया जाए एंव सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस अनियमितता को नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(8) सैनिक विश्राम गृह में मारवल/टाइल लगाने तथा पेंट इत्यादि का कार्य करवाने के लिए ठेकेदार ए0आर0 विशाल पुरी को गलत तरीके से अनियमित भुगतान करनाः–

चयनित माह के खर्चों की जाँच करने पर पाया कि संस्था द्वारा सैनिक विश्राम गृह में मारवल/टाईल लगाने तथा पेंट इत्यादि कार्य करवाने के लिए निम्नलिखित मदों के लिए निविदाए आमन्त्रित की गई थी।

Item no:1	P/L Marvel work polishing in flooring 20mm thick bass in cement mortar 1:3
Item no:2	P/L 10mm thick Antiskid water proof stain & impact vitrified tiles 600x600x10 mm
Item no:3	Wall painting (two coats) with plastic emulsion paint

उपरोक्त कार्य के लिए श्री ए0आर0 विशाल पुरी ने न्यूनतम दरे क्रमशः Item No1 के लिए ₹3500 per. sqm; Item No2 के लिए ₹1500 per, sqm तथा Item No3 के लिए ₹60 per sqm भरी थी एवं उन्हे यह कार्य उपरोक्त दरों पर आवन्टित किया गया था। अंकेक्षण के दौरान पाया कि उक्त कार्य के लिए बिना किसी मद की मात्रा का परिमाप किए ठेकेदार को ₹140,000 का भुगतान निम्नलिखित चैकों के द्वारा किया गया।

1	Cheque no 114677 Dt 12-10-2012	₹ 50,000
2	Cheque no 114681 Dt 21-11-2012	₹ 40,000
3	Cheque no 114684 Dt 31-12-2012	₹ 50,000

अतः बिना किसी मद के परिमाप (Measurement) किए भुगतान करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा प्रत्येक मद की मात्रा का परिमाप करके ठेकेदार को निधारित दरों के हिसाब से वास्तविक भुगतान का आंकलन करना सुनिश्चित किया जाए। यदि इस प्रकार वास्तविक भुगतान का आंकलन करके ठेकेदार को भुगतान की गई राशि अधिक पाई गई तो अधिक भूगतान की गई राशि की वसूली करके सैनिक विश्राम गृह संस्था की निधि में जमा करवाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 **लघु आपत्ति विवरणिकाः–** लघु आपत्तियों का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। अतः यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

10 **निष्कर्षः–** लेखों मे सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल)एच(2)सी(15)(xiv)74/83 दिनांक, 5.4.2014,शिमला–171009.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है :–

पंजीकृत

1 उप निदेशक जिला सैनिक कल्याण चम्बा जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को प्रस्तुत करे।
2 निदेशक, राज्य सैनिक कल्याण निदेशालय, हमीरपुर (हि0प्र0)
3 उप सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग) हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला–2
4 श्री संदीप कमल अनुभाग अधिकारी द्वारा.........

हस्ता/–
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.